न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 28/2021

1. शारदा पत्नि स्व0 सुरजा, जाति जाट, निवासी ढाणी श्योराणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. मु0 बनेश पुत्री स्व0 सुरजा, पत्नि विरेन्द्र सिह,
3. मु0 अनशु पुत्री स्व0 सुरजा पत्नि प्रदीप कुमार,
   समस्त जाति जाट, हाल निवासीगण महपालवास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. मु0 सरोज पुत्री स्व0 सुरजा पत्नि संदीप कुमार,
5. मंजु पुत्री स्व0 सुरजा पत्नि दिनेश कुमार,
   समस्त जाति जाट, हाल निवासीगण हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. मु0 कल्पना पुत्री स्व0 सुरजा पत्नि राजेश कुमार, जाति जाट, हाल निवासी पालोता का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र नोरंगराम,
2. मेहरचन्द पुत्र नोरंगराम,
3. मु0 भागोती पत्नि नोरंगराम,
   समस्त जाति जाट, निवासीगण ढाणी श्योराणी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. तहसीलदार (भू–अभिलेख) तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा, नरहड़ तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

– – –

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956, प्रथम अपील खिलाफ आदेश बाबत् नामान्तकरण संख्या 459 ग्राम ढाणी श्योराणी दिनांक 04.06.2020 बअदालत तहसीलदार (भू–अभिलेख) सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

– – –

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, अभिभाषक– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विनोद डांगी, अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियत 27 जा0दी0, प्रा0प0 अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांक 04.06.2020 भूमि ग्राम ढाणी श्योराणी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियत 27 जा0दी0, प्रा0प0 अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियत 27 जा0दी0, प्रा0प0 अ0धा0 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में दिनांक 04.06.2020 को नामान्तरकरण संख्या 459 ग्राम ढाणी श्योराणी स्वीकृत किया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04.06.2020 के विरूद्ध यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस दिनांक 04.06.2020 बाबत नामान्तरण संख्या 459 ग्राम ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:25 IST
Reason: SelfAttested

अदालत मातहत ने लैण्ड रिकोर्ड रूल्स व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। उपरोक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या 1 के पति व शेष अपीलान्ट के पिता सुरजा पुत्र केशुराम की सह खातेदारी की जमीन खसरा नं0 254 व खसरा नं0 358/255 सरहद मौजा ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के हिस्से का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के हक में वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट्स को बिना सूचित किये गलत रूप से स्वीकार किया है जो कानूनन गलत है। आदेश जैर बहस स्पींकिग नही है। आदेश जैर बहस में अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने केवल ''स्वीकृत'' शब्द लिखा है जो कि कानून से निर्णय की तारीफ में नही आता है। अदालत मातहत ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर कानून को नजर अन्दाज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। तत्कालीन पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपने पद का दुरूपयोग कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को फायदा पहुंचाने के लिये आदेश जैर बहस पारित किया है। तथाकथित वसीयत मिनजानिब सुरजा बहक नौरंगराम दिनांक 19.10.2001 को निष्पादित व पंजीबद्ध होना प्रकट होता है। नौरंगलाल का देहान्त दिनांक 07.02.2003 को होना और नोरंग के देहान्त होने पर उसकी खातेदारी की जमीन का नामान्तरण संख्या 356 ग्राम देवरोड विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में दिनांक 04.12.2004 को स्वीकृत होना एक स्वीकृत तथ्य है। सुरजा का देहान्त दिनांक 22.12.2019 को होना भी एक स्वीकृत तथ्य है। इस प्रकार तथाकथित वसीयत दिनांक 19.10.2001 के निष्पादक सुरजा की मृत्यु होने के पूर्व ही नोंरगराम का देहान्त हो जाने से उक्त वसीयत का कानूनन कोई महत्व नही रह जाता। कानून से वसीयत निष्पादक कर्ता की मृत्यु के राज वसीयतदार का जीवित होना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में सुरजा द्वारा कोई वसीयत निष्पादित व पंजीबद्ध नही की गई थी। तथाकथित वसीयत के आधार पर नोरंगराम को वसीयत में उल्लेखित जमीन के खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नही हुए थे। इस प्रकार उपरोक्त कानून की स्थिति को नजर अन्दाज कर अदालत मातहत ने नामान्तरण जैर बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में स्वीकृत किया है। तथाथित वसीयत बहक स्व0 नोरंगराम दिनांकित 19.10.2001 नोरंगराम के दिनांक 07.02.2003 को देहान्त होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई थी और निष्प्रभावी व शून्य वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को नही था। अदालत मातहत ने विधि को नजरअन्दाज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2020 बाबत नामान्तरण संख्या 459 ग्राम ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं को अपास्त किया जाकर विरासत के आधार पर जमीन हाल खसरा नं0 254 रकबा 1.61 है0 हाल खसरा नं0 358/255 रकाब 0.32 है0 सरहज मौजा ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर अपीलान्ट्स के हक में स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अदालत मातहत ने लैण्ड रिकोर्ड रूल्स व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है। उपरोक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या 1 के पति व शेष अपीलान्ट के पिता सुरजा पुत्र केशुराम की सह खातेदारी की जमीन खसरा नं0 254 व खसरा नं0 358/255 सरहद मौजा ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के हिस्से का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के हक में वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट्स को बिना सूचित किये गलत रूप से स्वीकार किया है। तथाकथित वसीयत मिनजानिब सुरजा बहक नौरंगराम दिनांक 19.10.2001 को निष्पादित व पंजीबद्ध होना प्रकट होता है। नौरंगलाल का देहान्त दिनांक 07.02.2003 को होना और नोरंग के देहान्त होने पर उसकी खातेदारी की जमीन का नामान्तरण संख्या 356 ग्राम देवरोड विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में दिनांक 04.12.2004 को स्वीकृत होना एक स्वीकृत तथ्य है। सुरजा का देहान्त दिनांक 22.12.2019 को होना भी एक स्वीकृत तथ्य है। इस प्रकार तथाकथित वसीयत दिनांक 19.10.2001 के निष्पादक सुरजा की मृत्यु होने के पूर्व ही नोंरगराम का देहान्त हो जाने से उक्त वसीयत का कानूनन कोई महत्व नही रह जाता। कानून से वसीयत निष्पादक कर्ता की मृत्यु के राज वसीयतदार का जीवित होना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2020 बाबत नामान्तरण संख्या 459 ग्राम ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं को अपास्त किया जाकर विरासत के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:25 IST
Reason: SelfAttested

जमीन हाल खसरा नं0 254 रकबा 1.61 है0 हाल खसरा नं0 358/255 रकबा 0.32 है0 सरहज मौजा ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर अपीलान्ट्स के हक में स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वकील अपीलान्ट के तर्क कानूनी आधार पर सही है परन्तु अदालत मातहत को पत्रावली निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जावे कि प्रकरण मे पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम ढाणी श्योराणी के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांकित 04.06.2020 का वसीयत के आधार पर बाद जांच स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि वसीयत निष्पादक सुरजा की मृत्यु होने के पूर्व ही नोंरगराम का देहान्त हो जाने से उक्त वसीयत का कानूनन कोई महत्व नही रह जाता। कानून से वसीयत निष्पादक कर्ता की मृत्यु के राज वसीयतदार का जीवित होना आवश्यक है। अतः अदालत मातहत द्वारा ग्राम ढाणी श्योराणी के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांकित 04.06.2020 न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 04.06.2020 निरस्त किया जाता है। ती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:25 IST
Reason: SelfAttested